पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2016 ई0 (फाल्गुन 08, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–09

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	73–83	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	35–38	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	31–65	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / नियुक्ति

29 जनवरी, 2016 ई0

संख्या 33 / XXX–1–16–12(42) / 2001–भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान ₹ 37,400–67,000+ ग्रेड पे ₹ 8700 में नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3
1.	श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम	01–01–2014

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना / पदोन्नति

06 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 92 / XXVIII–2 / 01(76)2006–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक (वेतन बैण्ड–4, वेतनमान, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000) के पद पर कार्यरत डा0 कुसुम नरियाल को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के पद पर वेतन बैण्ड–4, वेतनमान, ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 12,000 पुनरीक्षित वेतनमान HAG ₹ 67,000 (3% वार्षिक वेतनवृद्धि), ₹ 79,000 में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

29 जनवरी, 2016 ई0

संख्या 167 / II–2016–01(29)(18)–2011 / 2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 300 / 30 / ई–1 / डी0पी0सी0 / 2015–16, दिनांक 10.12.2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डिप्लोमाधारी संवर्ग :–

क्र0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री दीप चन्द्र पन्त	श्री प्रमोद कुमार बहुगुणा, सहायक अभियन्ता के दिनांक 31.01.2016 को होने वाले सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

4. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012, अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

03 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 1672/II–2016–01(139)/2003–श्री नागेन्द्र प्रसाद पन्त, जिलेदार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपराजस्व अधिकारी के पद पर नियमित चयनोपरान्त वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपराजस्व अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त पदोन्नत कार्मिक को एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

गृह अनुभाग–01
विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 जनवरी, 2016 ई0

संख्या 93/XX–1/2016–3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2016 में लिये गये निर्णय के आधार पर प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड निम्न स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0	पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये अधिकारियों का नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री गोविन्द राम नबियाल	
2.	श्री ज्ञान सिंह नेगी	
3.	श्री अजय ध्यानी	
4.	श्री अर्जुन सिंह रावत	
5.	श्री जगदम्बा प्रसाद जुयाल	
6.	श्री भगवत् प्रसाद शाह	
7.	श्री अब्बल सिंह रावत	सूची के क्रमांक 4 पर अंकित श्री अर्जुन सिंह रावत के दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत

2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता कालांतर में उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्गत की जायेगी।

3. उपराक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1738(एस/एस)/2012 तथा रिट याचिका संख्या 2385 (एस/एस)/2015, खुशहाल सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 87/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 3 के खण्ड (ङ) V के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किसी लोक प्रयोजन के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं कि राज्य के किसी जिले के भीतर अवस्थित एक हजार एकड़ तक के क्षेत्र के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु ऐसे जिले का कलेक्टर समुचित सरकार समझा जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 87/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 87/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (e) of section 3 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to hereby notify that in relation to acquisition of land in respect of a public purpose situated within a District of the State for an area not exceeding one thousand acres, the Collector of such District shall be deemed to be the appropriate Government.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 90/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 4, धारा 5 एवं धारा 6 में क्रमशः सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन का तैयार किये जाने, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए लोक सुनवाई करने तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रकाशन करने की व्यवस्था उपबंधित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिले में संबंधित अर्जन निकाय से भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र प्राप्त होने पर सामाजिक समाघात और लोक प्रयोजन के अवधारण के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
3.	तहसीलदार	सदस्य,
4.	सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र से एक विषय विशेषज्ञ/इस अध्ययन हेतु नामित गैर सरकारी विशेषज्ञ एजेन्सी	सदस्य,

5. सम्बन्धित ग्राम के प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य सदस्य,
6. सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल सदस्य–सचिव।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त समिति द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन लोक प्रयोजन का अवधारण रिपोर्ट सम्यक् प्रकाशन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 90/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In section 4, section 5 and section 6 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), provide to preparation of social impact assessment study, to public hearing for social impact assessment and to publication of social impact assessment study respectably, the powers conferred by these sections the Governor is pleased to constitute of following committee for a social impact assessment and to fixation of public purposes on received on indentation letter of the land acquisition from concerning acquire bodies in the district, as follows, namely :--

1. Concerning SDM Chairman,
2. Concerning Block Development Officer Member,
3. Tehsildar Member,
4. A subject expert/representative of Non-governmental agencies from the concerning area, nominated by the concerning district magistrate member,
5. Pradhan of the concerning village and member of Kshetra Panchyat member,
6. Concerning Revenue Deputy Inspector/Lekhpal Member-Secretary.

2. The Governor is pleased to directed also that the above committee shall provide fixation report for due publication of Social Impact Assessment public purposes to the concerning District Magistrate.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 91/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन किये जाने हेतु निम्नवत् एक स्वतंत्र बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष,
2. संबंधित क्षेत्र पंचायत प्रमुख सदस्य,
3. संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित दो समाजिक विज्ञानी सदस्य,
4. संबंधित जिला पंचायत सदस्य सदस्य,
5. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम सदस्य,
6. परियोजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग के केन्द्र तथा राज्य सरकार के जिला स्तर का अधिकारी सदस्य–सचिव,
7. संबंधित जिले के किसी महाविद्यालय या तकनीकी शिक्षण संस्थान आदि से जिलाधिकारी द्वारा नामित पुनर्विस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ सदस्य।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त विशेषज्ञ समूह अपनी संस्तुतियां प्रकाशन एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 91/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 91/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 7 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following independent multy disciplinary expert group for evaluation of Social Impact Assessment Study :

1.	Concerning Chief Development Officer	Chairman,
2.	Concerning Kshetra Panchayat Pramukh	Member,
3.	Two Social Scientist nominated by the concerning district Magistrate	Member,
4.	Concerning member of district Panchayat	Member,
5.	Concerning chief urban officer or executive officer of the Nagar Panchayat/Nagarpalika/Nagar Nigam	Member,
6.	District level officer of center and State Government of the concerning administrative department of the project	Member,
7.	Two expert on rehabilitation nominated by the district magistrate from any degree college or technical institutions on teaching institutions of the concerning district	Member.

2. The Governor is also pleased that the above expert group shall provide his recommendations to the concerning district magistrate for publication and further proceeding.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 92/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा अवधारण करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण व सर्वेक्षण हेतु निम्नवत् सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. सम्बन्धित नायब तहसीलदार,
2. अर्जन/अपेक्षक निकाय के तहसील स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी),
3. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 92/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 92/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 12 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute an following survey team for preliminary survey and survey for the purposes of enabling the appropriate Government to determined the extend the land to be acquired namely :

1. Concerning Naib Tehsildar,
2. Officer of the Tehsil level of acquire/require body (in case of non-availability district or State level officer),
3. Concerning Revenue Inspector/Lekhpal.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 93/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि..... ....भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों को गैर–स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए (जो भी स्थिति हो अथवा दोनों के लिए)

श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सम्बन्धित जिले के अपर जिलाधिकारी (जनपद में अपर जिलाधिकारी का पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी) को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उप धारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक समुचित सरकार और पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 93/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that there is likely to be involuntary displacement of persons due to acquisition of land displacement for rehabilitation and resettlement (as the case may be),

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the additional District Magistrate of concerning district (non-availability of the additional District Magistrate of the district the concerning SDM) an to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

2. The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 94/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावित कुटम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संबंधित मण्डल के आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं की विरचना का अधीक्षण करने और ऐसी स्कीमों और योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 94/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 94/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 44 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint Commissioner for Rehabilitation and Resettlement to the concerning reason Commissioner for the Rehabilitation and Resettlement of the affected families.

2. Hereby appointed Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall be responsible for the appropriate implementation of such schemes and schemes and to superintendent of monitoring the Rehabilitation and Resettlements schemes or projects and shall also be responsible of social after the implementation from the advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 95/XVIII(3)/2016–20(01)/2014—चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य,
3.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	सदस्य,
4.	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
5.	सम्बन्धित नायब तहसीलदार	सदस्य।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 95/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 95/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acar;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitaring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme :

1.	District Magistrate	Chairman,
2.	Chief Development Officer	Member,
3.	Concerning SDM	Member,
4.	Concerning Block Development Officer	Member,
5.	Concerning Naib Tahsildar	Member.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 96/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अुनश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए सम्बन्धित कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, उप धारा (2) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति में समुचित सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(ग) क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी स्वैच्छिक संगठन का एक प्रतिनिधि;

(घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि;

(ङ) परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी;

(च) प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामिनिर्देशिती;

(छ) जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामिनिर्देशिती;

(ज) सम्बन्धित क्षेत्र का संसद सदस्य और विधानसभा का सदस्य या उनके नामिनिर्देशित;

(झ) अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि; और

(ञ) सदस्य–संयोजक के रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 96/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

2. The Governor is pleased also directed under sub-section (2) that in addition of the officers of the appropriate Government the following members shall be the member of the rehabilitation and resettlement committee :

(a) a representative of women residing in the affected area;

(b) a representative each of the scheduled castes and the scheduled tribes residing in the affected area;

(c) a representative of a voluntary organization working in the area;

(d) a representative of a nationalized bank;

(e) the Land Acquisition Officer of the project;

(f) the Chairpersons of the panchayats or municipalities located in the affected area or their nominees;

(g) the Chairperson of the District Planning Committee or his nominee;

(h) the Member of Parliament and member of the Legislative Assembly of the concerned area or their nominees;

(i) a representative of the Requiring Body; and

(j) a administrator for Rehabilitation and Resettlement as the Member-Convenor.

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 97/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या, 30 वर्ष 2013) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनको अनुश्रवण करने के लिये निम्नवत् राज्य अनुश्रवण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्-

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष,
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य–सचिव,
(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,
(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 97/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 97/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by section 50 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute a following state monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation or rehabilitation and resettlement schemes or plans under said Act, namely :

(a)	Chief Secretary to the State Government	Chairman,
(b)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, FRDC to the State Government	Member,
(c)	Principal Secretary/Secretary, Public Works Department to the State Government	Member,
(d)	Principal Secretary/Secretary, Revenue Department to the State Government	Member,

(e) Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department to the State Government — Member,

(f) Principal Secretary/Secretary, Energy Department to the State Government — Member,

(g) Principal Secretary/Secretary, Transport Department to the State Government — Member,

अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 98/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 51(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए "भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 98/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 98/XVIII(III)/2016-20(01)/2014--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute a Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement authority for review of the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes of projects under the said Act.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/58–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2016 ई0 (फाल्गुन 08, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 11, 2016

No. 10/UHC/XIV-a/52/Admin.A/2012--Sri Akram Ali, Judicial Magistrate-II, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 08 days *w.e.f.* 12.12.2015 to 19.12.2015 with permission to suffix 20.12.2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

January 29, 2016

No. 25/UHC/XIV-a-7/Admin.A/2009--Sri Rahul Kumar Srivastava, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 02.01.2016 to 16.01.2016 with permission to prefix 24.12.2015 as Barawafat, 25.12.2015 to 31.12.2015 as winter holidays and 01.01.2016 as New Year's day holiday and to suffix 17.01.2016 as Sunday.

NOTIFICATION

January 29, 2016

No. 26/UHC/XIV-a/31/Admin.A/2015--Sri Ashutosh Tiwari, Judicial Magistrate, Bageshwar, presently trainee at UJALA, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 04.12.2015 & 05.12.2015 with permission to suffix 06.12.2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 01, 2016

No. 27/UHC/XIV-a/55/Admin.A/2012--Ms. Indu Sharma, Civil Judge (Jr.Div.), Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 22 days *w.e.f.* 02.01.2016 to 23.01.2016 with permission to prefix 24.12.2015 as Barawafat, 25.12.2015 to 31.12.2015 as Christmas & winter holidays and 01.01.2016 as New Year's holiday and to suffix 24.01.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 03, 2016

No. 28/UHC/XIV/94/Admin.A/2003--Smt. Archana Sagar, Chief Judicial Magistrate, Almora is hereby sanctioned earned leave for 40 days *w.e.f.* 23.11.2015 to 01.01.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 03, 2016

No. 29/UHC/XIV-a/39/Admin.A/2013--Sri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Hardwar, is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 10.12.2015 to 19.12.2015.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

कार्यालयादेश

03 फरवरी, 2016 ई0

पत्रांक 122/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/15–16–वाहन सं0 UP06–3514 (Truck), के वाहन स्वामी अख्तर अली पुत्र रईस बुल्ला, मोची टम्टा मोहल्ला, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 30–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन कट चुकी है। जिस कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UP06–3514 (Truck) का चेसिस सं0 MXR106706 तथा मॉडल, 1997 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UP06–3514 (Truck) का चेसिस संख्या MXR106706 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

द्वारिका प्रसाद,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

08 फरवरी, 2016 ई0

पत्र संख्या 1415/सा0प्रशा0/लाइसेन्स–निरस्तीकरण/2015–16–श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री कन्हैया सिंह, निवासी 69, हल्दूखाता तल्ला, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, जिसके लाइसेन्स संख्या यूके–1520100005514 का चालान यातायात पुलिस, चाणक्यापुरी, दिल्ली द्वारा दिनांक 29.12.2015 को अपराध संख्या 119/177 एम0वी0टी0 के तहत किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण यातायात पुलिस चाणक्यापुरी, दिल्ली द्वारा लाइसेन्स संख्या यूके–1520100005514, जो इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई हेतु पत्र संख्या 1339/सा0प्रशा0/लाई–नोटिस/2015–16, दिनांक 22.01.2016 जारी किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में चालक ने दिनांक 02.02.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यूके–1520100005514 को दिनांक 03.02.2016 से 02.05.2016 तक तीन माह हेतु निलम्बित करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय जिला पंचायत, चम्पावत

04 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 1155/इक्कीस–8/2015–16–उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चम्पावत ने जनपद ग्रामीण क्षेत्रों में रेता, बजरी, रोड़ी, गिट्टी व पत्थर आदि ले जाने वाले, एकत्रित करने वाले वाहनों (यूटिलीटी जीप, ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, कैन्टर, 6 टायर से ऊपर आदि) का नियन्त्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य के अधिनियम की धारा 239 (2) के अन्तर्गत नियम बनाये जाते हैं। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे, जिस किसी सज्जन को उक्त उपनियम के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव हों तो वे 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरान्त किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

खनन निकासी हेतु उपविधियाँ

1. यह उपविधि जिला पंचायत, चम्पावत में बहने वाली नदियों, नाले, गधेरे भूमि पट्टेदारों आदि से निकासी एवं चुगान रेता, बजरी, रोड़ी, गिट्टी व पत्थर ले जाने वाले, एकत्रित करने वाले वाहनों, जो जिला पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत गुजरेंगे व किसी स्थान पर एकत्रित करेंगे, से शुल्क वसूली की उपविधि कहलायेगी।
2. यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।
3. रेता, बजरी, रोड़ी, मिट्टी व पत्थर ले जाने वाले वाहनों से शुल्क वसूली जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके के माध्यम से की जायेगी। ठेके पर शुल्क वसूली करने की दशा में ठेके के नीलामी जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष, जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा नीलामी की स्वीकृति की जायेगी तथा उनका निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
4. जिला पंचायत, चम्पावत के क्षेत्र में रेता, बजरी, रोड़ी, मिट्टी व पत्थर आदि ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश करने जिला पंचायत क्षेत्र से बाहर ले जाने व जिला पंचायत क्षेत्र में एकत्र करने वाले वाहनों को जिला पंचायत, चम्पावत को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। शुल्क वसूली हेतु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कोई ऐसा स्थान नियत किया जायेगा, जहाँ पर जाम लगने व किसी प्रकार के विवाद की सम्भावना न हो। शुल्क की अदायगी जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार को की जायेगी।

शुल्क की दरें निम्नवत् होगीः–

वाहन का नाम	₹ प्रति फेरा
1. 04 (चार) टायर ट्रक/कैन्टर	₹ 50
2. 06 (छः) टायर के ऊपर ट्रक	₹ 100

5. जिला पंचायत शुल्क वसूली के लिए ठेके की व्यवस्था कर सकता है, जिसकी अवधि वर्ष 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगी।
6. रेता, बजरी, रोड़ी, मिट्टी व पत्थर आदि ले जाने वाले वाहनों से शुल्क वसूली के लिए जिला पंचायत द्वारा निर्गत रसीद, वाहनों के लिए निर्धारित धनराशि प्राप्त कर प्रदान की जायेगी। यह रसीदें जिला पंचायत द्वारा शुल्क वसूली की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चम्पावत द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/कर्मचारी शुल्क प्राप्त कर सम्बन्धित वाहनों को उपलब्ध करायेगा और ठेके के माध्यम से वसूली होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वाहनों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर वाहनों को उपलब्ध करायेगा।

7. शुल्क या इससे सम्बन्धित व्यवस्था के विषय में शुल्कदाता लिखित रूप से अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष से समक्ष आपत्ति कर सकता है। अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्व अपील आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष निणर्य को सूचना मिलने के 15 दिन के अन्दर की जा सकेगी और उस पर दिया गया आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

8. शुल्क वसूली के कार्य को ठेके पर उठाने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, नीलाम समिति के अध्यक्ष होंगे तथा कार्य अधिकारी/कर अधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता नीलाम समिति के सदस्य होंगे।

9. यदि शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर उठा दिया गया हो तो ठेकेदार को रसीद वही रखना होगा, जिसे जिला पंचायत द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। ठेकेदार निर्धारित दर से वसूल करेगा तथा शुल्कदाता को रसीद देगा। ठेकेदार रसीद बही जिला पंचायत, चम्पावत कार्यालय से क्रय कर प्राप्त करेगा, जो अपर मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

10. उपर्युक्त उपविधियों के अनुसार रेता, बजरी, रोड़ी, मिट्टी व पत्थर आदि बिक्री के लिए जाते हुए वाहन मालिक द्वारा शुल्क न देने पर या जाँच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर शुल्क न दिया गया हो तो ऐसा प्रमाणित होने पर रेता, बजरी, रोड़ी, मिट्टी व पत्थर आदि जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा रोक लिया जायेगा या आंशिक रूप से अधिकृत कर लिया जायेगा।

11. यदि रेता, बजरी, रोड़ी, मिट्टी व पत्थर आदि अधिकार में कर लेने के 15 दिन के अन्दर शुल्क अदा नहीं किया जाता हो तो अधिकार में लिया गया माल आवश्यकता अनुसार आंशिक रूप से जिला पंचायत द्वारा विक्रय करके शुल्क व्यय सहित पूर्ण रूप से वसूल कर लिया जायेगा और शेष माल उसके मालिक का अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत के समक्ष जब्त माल को वापसी के लिए प्रार्थना–पत्र देने पर तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

12. यह उपविधि संख्या 11 के अनुसार अधिकार में लिये गये माल के अंश को बेचे जाने पर भी मालिक अपने माल को शेषांश को लेने के लिए 15 दिन के अन्दर नहीं आता है तो जिला पंचायत द्वारा संचालित वाहन मालिक को एक सप्ताह की लिखित नोटिस देकर उक्त माल का निस्तारण कर दिया जायेगा और प्राप्त धनराशि जिला निधि में जमा कर दी जायेगी।

13. जिला पंचायत अथवा ठेकेदार द्वारा वाहनों से शुल्क वसूली, जिला पंचायत द्वारा नियत किये गये स्थल पर कैम्प/अवरोध कर वसूली करेगा।

14. ठेकेदार द्वारा निर्धारित एवं नियमित शुल्क के स्टॉम्प पर ठेके से संचालन हेतु अनुबन्ध करना होगा तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने पर ठेका निरस्त करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, चम्पावत में निहित होगा।

15. जिला पंचायत अथवा ठेकेदार द्वारा उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क की वसूली के समय उपखनिज के अभिवहन सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत रायल्टी प्रपत्र, जे0एम0, रवन्ना (एम0एम0 11) अथवा अन्य जो भी लागू हो का निरीक्षण करने के उपरान्त ही शुल्क वसूलेगा। अवैध खनन की दशा में जिला पंचायत ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह उक्त को सक्षम अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा।

दण्ड

जिला पंचायत, चम्पावत उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/वाहन मालिक इस उपविधि की किसी धारा का उल्लंघन करेगा तो अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो ₹ 1,000 (एक हजार) तक हो सकेगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, प्रथम दोष सिद्व के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिससे यह सिद्व हो जाये कि उसमें अपराध करता रहा है, ₹ 50 तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

शेर सिंह परगॉई,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चम्पावत।

खुशाल सिंह अधिकारी,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/58–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2016 ई0 (फाल्गुन 08, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर निगम, रूड़की, जिला हरिद्वार

11 सितम्बर, 2015 ई0

पत्रांक मीमो / न0नि0 रूड़की / 2015–16–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 8क, क(1)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम, रूड़की कार्यकारिणी समिति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, रूड़की कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा तथा भविष्यनिधि विनियम, 2015, मेरे द्वारा अधिनियम की धारा 548 (1) (एफ) तथा (जी) के प्राविधियों के अन्तर्गत बनाये गये हैं तथा मैं एतद्द्वारा नगर निगम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 548(1) तथा (3) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु बनाये गये विनियमों की पुष्टि करता हूँ :–

नगर निगम, रूड़की कर्मचारी सेवानिवृत्त लाभ विनियमावली एवं भविष्य निधि विनियम, 2015

उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) की धारा 548 (1) (एफ) और (जी) के अन्तर्गत}

1. (1) यह विनियम नगर निगम, रूड़की कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली तथा भविष्यनिधि विनियम, 2015 होगा।

   (2) यह विनियम नगर निगम घोषित होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेंगे और उन कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो निगम घोषित होने की तिथि को कार्यरत थे तथा जिनकी नियुक्ति दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व नगर पालिका परिषद् / नगर निगम, रूड़की में अकेन्द्रियत सेवा के पदों पर हुई हो।

2. परिभाषाएं–

   जब तक विषय व संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इन विनियमों में–

   (1) "अधिनियम" अथवा "एक्ट" से तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) से है;

   (2) "औसत परिलब्धियों" से तात्पर्य है सेवानिवृत्ति के दिनांक से पूर्व 10 मास में प्राप्त परिलब्धियों का औसत वेतन या अन्तिम प्राप्त वेतन जो भी अधिक हो। यदि इन 10 मासों में छुट्टी का समय भी सम्मिलित हो तो उस समय के लिए अगर व छुट्टी पर न रहा होता तो स्थाई नियुक्ति के लिए जो परिलब्धियां प्राप्त (एडमिसिबिल) होती, वे परिलब्धियां समझी जायेंगी;

   प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा 577(ङ) में वर्णित किसी अधिकारी के विषय में यदि वह नियत दिन के पूर्व स्थायी हो चुका हो तो औसत उपलब्धियां निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन और उसके पश्चात् नगर निगम के अन्तर्गत की गई सारी सेवा के समय स्थायी नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिला वेतन स्थायी वेतन माना जायेगा।

(3) "परिलब्धियाँ" (एमालूमेन्ट्स) से तात्पर्य–

(क) वेतन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 के भाग 2 से 4 में दिये गये, फण्डामेन्टल रूल्स 9(21) में दी गयी परिभाषा के अनुसार तथा प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी के सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु, जैसी भी दशा हो, के समय छुट्टी पर हो तो वह परिलब्धियाँ (एमालूमेन्ट्स), जो उसे प्राप्त होती, यदि वह उस समय अवकाश पर न होता, परिलब्धिया समझी जायेंगी।

(4) "परिवार" में किसी अधिकारी/कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित होंगे–

(क) धर्म पत्नी, पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध में;

(ख) पति, स्त्री अधिकारी के सम्बन्ध में;

(ग) पुत्र (इसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्चे भी सम्मिलित होंगे);

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियां;

(ङ) भ्राता 18 वर्ष से कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा तथा तलाकशुदा बहिनें (जिनमें विभातृ भ्राता तथा विभातृ बहनें सम्मिलित होंगी);

(झ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे।

(5) "अधिकारी" एवं "कर्मचारी" से तात्पर्य रूड़की नगर निगम में किसी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जो नगर निगम के अन्तर्गत किसी स्थायी सेवानिवृत्ति वेतनीय (पेंशनेबुल) पद पर नियुक्त हों तथा वह पद उस श्रेणी में आता हो, जिसको यह विनियम लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर धारणाधिकार हो या उसका ऐसे किसी पद पर नियुक्त रहने का धारणाधिकार हो (वुड होल्ड लियन), यदि उसका वह अधिकार निलम्बित कर दिया गया हो (हैड हिज लियन नाट बीन सस्पेन्डेड);

(6) निवृत्ति वेतनीय पद (पेंशनेबुल पोस्ट) से तात्पर्य ऐसे पदों से है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें पूरी होती हैं:–

(1) पद, नगर निगम सेवा नियमावली के अन्तर्गत नगर निगम, रूड़की के किसी संवर्ग में हो;

(2) नियोजन मौलिक और स्थायी हो, और

(3) सेवा कार्य के लिये भुगतान नगर निगम, रूड़की से किया जाता रहा हो।

(7) "अर्हकारी सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है कि जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती हो;

(8) "सेवानिवृत्ति" से तात्पर्य है किसी अधिकारी/कर्मचारी का नगर निगम सेवा से सेवा अवधि पूर्ण करने पर असमर्थ (इनवैलिड) होने पर बाध्य किए जाने पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा सम्बन्धी किसी निगम के अनुसार स्वेच्छा से निवृत्ति ग्रहण करने अथवा स्थायी पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थायी पद पर न हो सकने की दशा में सेवा निवृत्ति होने से प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी/कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के साथ–साथ 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो;

(9) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा केवल सर्विस ग्रेच्युटी ही अनुमन्य होगी।

3. अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विनियम प्रभावी है।

यह विनियम लागू हो:–

(1) उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिनकी नियुक्ति इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद नगर निगम द्वारा अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत स्थायी रूप से सृजित किये गये पदों पर स्थायी रूप से हों।

(2) (क) उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जो नगर निगम बनने के दिनांक 28–2–2013 को अधिनियम की धारा 577 (ङ) के अनुसार स्थायी रूप से नियोजित पद पर निगम के कर्मचारी/अधिकारी हो गये हैं। प्रतिबन्ध यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जमा किया गया भविष्य निधि अंशदान जिसमें बोनस तथा उससे अर्जित किया गया ब्याज सम्मिलित हो, नगर निगम द्वारा खोले गये सेवानिवृत्ति पेंशन निधि में जमा कर दिया जायेगा और म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन की गयी सेवाएं इस कार्य के लिए निगम के अन्तर्गत की गयी सेवाएं समझी जायेंगी। यदि इन विनियमों को अंगीकार करने वाला कोई कर्मचारी/अधिकारी प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा किया गया धन वापस ले चुका हो तो उसे देय अंशदान नगर निगम द्वारा खोले गये सेवा निवृत्ति पेंशन निधि में जमा करना होगा।

भाग–1
(डैथ–कम–रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी)
(मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृति उपादान)

4– (1) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर यह नियम लागू होंगे उनकी सेवानिवृत्ति पर उपादान (ग्रेच्युटी) दिया जायेगा, जो उनकी परिलब्धियों के 16 1/2 गुना से अधिक न होकर वह धन होगा जो उनके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाही अवधि के अन्तिम आहरित उपलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृति के बाद पेंशन केस निस्तारित होने के पूर्व मृत हो जाये जो उसे देय उपादान की धनराशि के द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो इसी विनियम के उपविनियम–2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को बराबर–बराबर देय होगा।

(3) उप नियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाला उपादान 10,00,000/– (दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगा तथा शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए समय–समय पर निर्धारित सीमा तक ही उपादान देय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि :–

(क) उप विनियम (1) से (3) तक वर्णित निवृत्ति उपदान केवल उन्ही अधिकारियों/ कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्होने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। उदाहरणार्थ यदि मूल नियम 9 (21) (1) वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड द्वितीय भाग–2 से 4 में परिभाषित वेतन रूपया 6050/– और पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष 6 माह है तो सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेंच्युटी)
6050 X 61/4 = 92262–00

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी–मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) दरें निम्न प्रकार हैं :–
सेवा अवधि के अनुसार –
1– एक वर्ष से कम = परिलब्धियों का दो गुना।
2– एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम=परिलब्धियों का छः गुना।

टिप्पणी– यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राजकीय कर्मचारियों के लिये संशोधित दरों पर परिवर्तनीय होगी।

नामांकन (नोमिनेशन)–

5– (1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी जिसे यह विनियम लागू हो ज्यों ही वह किसी स्थायी सेवा निवृत्ति वेतनीय पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त करें उसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिसे विनियम–4 के उप विनियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए नामांकित करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में ही किया जा सकता है, किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा निवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उसे नामांकन पत्र में अपने पहले किये हुए नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को नामांकन पत्र में निम्नांकित व्यवस्था करनी होगी –

(क) कि किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों का अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन पत्र में दिये हुए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जावे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हो।

(ख) कि उपर कही हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जैसे परिवार नहीं था अथवा नामांकन में उप नियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था अब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाये अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाये।

(5) (क) प्रत्येक नामांकन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो किया जायेगा।

(ख) कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को मुख्य नगर अधिकारी, अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर निरस्त कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी/कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन पत्र इन विनियमों के अनुसार नोटिस दिये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्य नगर अधिकारी को प्रेषित कर दें।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति, जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन पत्र मे उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत न की गयी हो, अथवा किसी ऐसी घटना हो जाने पर, जिसके कारण उसका नामांकित उपनियम (3) के खण्ड (ख) अथवा उपनियम (4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए इन विनियमों के अनुसार नये नामांकन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेंगे।

(7) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उसको रद्द करने का नोटिस सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजा जाना चाहिये मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा अपनी अभिरक्षा में रखेंगे।

(8) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रद्द किये जाने का नोटिस जहां तक वह अखंडनीय वैलिड हो मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

(9) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसका परिवार हो अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान (डैथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) पाने का नामांकन पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत हो जाये तो उपादान (ग्रेच्युटी) विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के क्रम (क) से (घ) तक में दिये सभी लिखित सदस्यों को विधवा पुत्रियों को छोड़ समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा, यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हों, और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियां हों अथवा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के उपरोक्त उपनियम 2 (4) श्रेणी के क्रम (ड) से (झ) तक में वर्णित का एक या उससे अधिक सदस्य हों तो उपादान (ग्रेच्युटी) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बांट दिया जायेगा।

भाग–2
पारिवारिक पेंशन

6– (क) पारिवारिक पेंशन –

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना राज्य कर्मचारियों की भांति निर्धारित की जायेगी।

(2) (क) पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा –

1– पत्नी/पति

2– मृत्यु के दिन को 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र (सौतेले तथा सेवानिवृत्ति से पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तान भी सम्मिलित है)।

3– मृत्यु के दिन को 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियॉ।

(ख) पारिवारिक पेंशन–निम्नलिखित दशाओं में अनुमन्य होगी :–

क– सर्वप्रथम विधवा/विधुर को आजीवन या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक मिलेगा।

ख– विधवा/विधुर की मृत्यु पुनर्विवाह की दशा में ज्येष्ठतम नाबालिग पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक मिलेगी।

टिप्पणी–जहां दो या दो से अधिक विधवायें हों तो पारिवारिक पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के वरिष्ठता से है।

(ग)– इस विनियम के अधीन दी गयी पेंशन एक ही समय में अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी।

(घ)– विधवा/विधुर का पुनर्विवाह/मृत्यु हो जाने पर पेंशन उनके अवयस्क सन्तानों को उनके प्राकृत अभिभावक (नेचुरल गार्जियन) व माध्यम से दी जायेगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (लीगल गार्जियन) के माध्यम से दिया जायेगा।

(ङ)– इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पेंशन नियमों में संशोधन करने पर सम्बन्धित नियम नगर निगम रूड़की के कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2015 पर भी स्वतः लागू होंगे।

भाग–3
सेवा–निवृत्त पेंशन

(1) अधिवर्ष निवृत्ति, अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान धनराशि उत्तरखण्ड के राज्य कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रूपये में अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां भी नियमानुसार गणना करने पर जारी निवृत्ति वेतन में रूपये से कम कोई धन हो तो वह अगले पूर्ण रूपये में बदल दी जायेगी।

(2) उत्तराखण्ड सरकार के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों को महंगाई या अन्य प्रकार की स्वीकृत की गयी धनराशि के अनुसार नगर निगम रूड़की मे पेंशनरों को देय होगी।

(3) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) पद अक्षम और प्रतिकर पेंशन का यही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन में उसके लिये दिया गया हो।

रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स तथा सिविल सर्विस रेगुलेशन का प्रयोग –

8– (1) इन विनियमों में दी गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोड़कर इन विनियमों के अन्तर्गत देय उपादान, निवृत्ति वेतन, जिसमें पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन, भी सम्मिलित हैं– तथा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बैनीफिट रूल्स 1961 तथा समय–समय पर उनके किये गये परिवर्तन तथा इस सम्बन्ध में जारी किये गये सरकारी आदेश लागू होंगे। यदि किसी विषय में इन विनियमों में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो उस सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आधार पर मुख्य नगर अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत देय निवृत्ति वेतन (पेंशन) सम्बन्धित अधिकारी को उनकी मृत्यु के दिन तक दी जायेगी। यदि अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होने से पूर्व ही मृत हो जाये तो कोई निवृत्ति वेतन (पेंशन) उसे देय नहीं होगी।

<u>पेंशन की अनुमन्यता –</u>

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नही होगी तथा ऐसी स्थिति में केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।
(2) पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।
(3) 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पर अन्तिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।
(4) 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

भाग– 4
सारांशिकरण (कम्यूटेशन)

9– (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी, जिसे इन विनियमों के विनियम 7 के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है उसे अपने सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) के धनांक का 1/3 भाग तक किसी भाग के सारांशिकरण (कम्यूटेशन) कराने का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्युटेंशन रूल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू हों, कि उक्त कम्युटेशन रूल्स के नियम 18 के तात्पर्य के लिए मुख्य नगर अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षण हेतु भेजेगे तथा इस हेतु शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धरित शुल्क प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा की जायेगी। पेंशन के राशिकरण हेतु शासन द्वारा एक तालिका जारी की गयी है जिसमें दो स्तम्भ (कालम) हैं, प्रथम पेंशनर की आयु दर्शाता है और दूसरे में राशिकरण की वह दर अंकित है, जो प्रति एक रूपये प्रतिवर्ष की समर्पित पेंशन के लिए देय होती है। राशिकरण के आगणन हेत किसी पेंशनर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके आगामी जन्म दिवस पर आयु के वर्ष आगणित किये जाते हैं तदोपरान्त उक्त तालिका में इस आयु के सम्मुख अंकित दर को 12 से गुणा किया जाता है एवं इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल को पुनः पेंशनर द्वारा समर्पित पेंशन की धनराशि से गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल के समतुल्य धनराशि ही पेंशनर को राशिकरण के रूप में देय होती है। यह धनराशि पूर्ण रूपयों में पूर्णांकित की जाती है।

---

1 मार्च 1971 से प्रभावी राशिकरण तालिका, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एन एन नं0 2 (1) पांच 71 दिनांक 6–3–1971 एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पृष्ठांकन संख्या जी–2/687/(5) 1957 दिनांक 21–3–1971 द्वारा निर्धारित
100 रूपये वार्षिक पेंशन पर राशिकरण मूल्य–

अगली जन्मतिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य–क्रय किये गये वर्षो की	अगली जन्मतिथि पर आयु संख्या पर	राशिकरण मूल्य क्रय किये गये वर्षो की संख्या पर
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66

19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	09.81
28	18.07	62	09.48
29	17.93	63	09.15
30	17.78	64	08.82
31	17.62	65	08.50
32	17.46	66	08.17
33	17.25	67	07.85
34	17.11	68	07.53
35	16.92	69	07.22
36	16.72	70	06.91
37	16.52	71	06.66
38	16.31	72	06.30
39	16.09	73	06.01
40	15.87	74	05.72
41	15.64	75	05.44
42	15.40	76	05.17
43	15.15	77	04.90
44	14.90	78	04.65
45	14.64	79	04.40
46	14.37	80	04.17
47	14.10	81	03.94
48	13.82	82	03.72
49	13.54	83	03.52
50	13.25	84	03.32
		85	03.13

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राशिकरण–

अगली जन्मतिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य–क्रय किये गये वर्षो की	अगली जन्मतिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य–क्रय किये गये वर्षो की	अगली जन्मतिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य–क्रय किये गये वर्षो की
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.802
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.691
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.793
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229

37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

सेवा निवृति अथवा पी पी ओ की तिथि से एक वर्ष के भीतर राशिकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 1/3 भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है।

पेंशन के राशिकरण भाग को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष अथवा राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की राशि से जब से कमी की गयी हो उसके 15 वर्ष बाद पुर्नस्थापित कर दी जायेगी।

संराशिकरण की गणना –

उदाहरणार्थ– कोई अधिकारी/कर्मचारी 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 21 जुलाई 2011 को सेवानिवृत होता है और पेंशनर द्वारा अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग का राशिकरण करने हेतु आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसे देय राशिकरण की राशि की क्या देय होगी। दिनांक 21 जुलाई 2011 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होगी। राशिकरण की तालिका के अनुसार 60 वर्ष की आयु पर राशिकरण की दर 9.81 है।

अधिकारी/कर्मचारी की पेंशन 5000/–रू0 निर्धारित होती हैं अतः राशिकरण की राशि 5000/3000

$$1666.66 = 1667 \times 9.81 \times 12 = 1,96,239.00$$

राशिकरण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृति के उपरान्त ही दिया जा सकता है।

(2) राशिकरण स्वीकृति, उसकी धनराशि कम करने, उसे बिना कारण बताये अस्वीकृत करने तथा उस संदर्भ में अन्य सूचनायें मांगने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को है।

(सि0पै0 कम्यूटेशन नियम संख्या 3 (बी)

(3) विनियम संख्या–7 के अनुसार स्वीकृत पेंशन की धनराशि के एक तिहाई भाग तक को संरांशित (कम्यूट) कराया जा सकता है।

(4) संराशिकरण की स्वीकृति निम्नांकित प्रयोजनों हेतु दी जा सकती है ।

क– निवास भवन के निर्माण या क्रय
ख– लिये गये ऋण की अदायगी
ग– बच्चों या आश्रितों की शिक्षा
घ– विवाह व्यय हेतु
ङ– व्यापार प्रारम्भ,

(सि0पे0 कम्यूटेशन नियम संख्या–4 (बी))

(5) कोई भी संराशिकरण तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक प्रार्थी के स्वास्थ्य तथा संभावित जीवन के सम्बन्ध में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण संतोष न हो जाये कि प्रार्थी द्वारा दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य है एवं बची हुई पेंशन प्रार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त है। यदि किसी समय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कोई सूचना प्रार्थी द्वारा असत्य दी गयी है या कोई तथ्य छिपाया गया है तो भुगतान से पूर्व भी संराशिकरण की स्वीकृति रद्द की जा सकती है।

(सि0 पे0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–7)

(6) संराशिकरण की धनराशि समय–समय सरकारी कर्मचारियों के लिए इस हेतु निर्धारित आधार पर निकाली जायेगी तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयु जो किसी भी दशा में पंजीकृत आयु से कम न होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित आधार पर तालिका इससे पूर्व में दी गयी है।

सिं0 पे0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या– 8)

(7) संराशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष जिसके अधीन पेंशनर सेवा निवृत्ति से पूर्व कार्यरत था, के माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये।

(सि0पे0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–14 के आधार पर)

(8) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में दिये विवरणों की तथा विशेष रूप से यह जांच करनी चाहिये कि सराशिकरण प्रार्थी के स्पष्ट और स्थायी हित में है। यदि वह स्थिति से संतुष्ट हो तो उसे प्रार्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कराकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ–साथ प्रार्थना पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र लेखा अधिकारी को भेजना चाहिये।

(9) चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए निर्धारित प्राधिकारी, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किया गया है। प्रार्थी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करके आगे दिये गये प्रत्र पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक संराशिकरण प्रार्थना पत्र के लिए अलग चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि प्रार्थी शुल्क जमा करने के बाद चिकित्सा परीक्षा न कराये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने पर शुल्क लौटाया जा सकेगा।

(सि0पै0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या– 22 के आधार पर)

(10) लेखा अधिकारी आवश्यक जांच के बाद संराशिकरण की धनराशि तथा संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि निर्धारित करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आवश्यक जांच हेतु भेजेंगे और उनके प्रमाण पत्र के आधार पर संराशिकरण के प्रभावी होने का दिनांक भरकर लेखा अधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक भुगतान तथा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका में तदनुसार प्रविष्टियों करने की कार्यवाही करेंगे। संराशिकरण की स्वीकृति की सूचना लेखाधिकारी की पेंशनर को इस प्रकार भेजना उचित है कि वह उसे प्राप्त कर समय से भुगतान प्राप्त कर सकें।

(11) संराशिकरण स्वीकृति आदेश के दिये दिनांक से ही प्रभवी होगा। यह दिनांक स्वीकृति आदेश के पारित होने के प्रायः 15 दिन बाद होना उचित है तथा सारी गणना इसी आधार पर होनी चाहिये और संराशिकरण का धनांक यथासम्भव उसी दिन भुगतान किया जाना चाहिये।

(सि0पे0कम्यूटेशन रूल्स संख्या–10 व 11 के आधार पर)

(12) प्रार्थी स्वीकृति से पूर्व तक अपना प्रार्थना पत्र वापस ले सकता है। संराशिकरण स्वीकृत हो जाने के बाद संराशिकरण का धन प्राप्त न करने तथा उसे लौटाने तथा पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं होगा और न वह स्वीकृत किया जा सकता है।

(13) यदि संराशिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दिनांक या उसके बाद बिना सरांशिकरण का धन प्राप्त किये पेंशनर मृत हो जाये तो सारा धन उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा।

(सि0पे0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–13)

(14) 1– यदि चिकित्सा परीक्षक की राय में किसी ऐसी विशेष परीक्ष की आवश्यकता हो जिसे वह नहीं कर सकता है तो वह परीक्षा प्रार्थी के व्यय पर करायी जायेगी। संराशिकरण स्वीकृत न होने पर इस प्रकार के व्यय की पूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जायेगी।

2– किसी पेंशनर के निम्नलिकखित कें किसी भी एक रोग से प्रभावित होने पर पेंशन के किसी भाग का सराशिकरण नहीं किया जा सकता है।

रोगों के नाम –

1–	एन्यूरिजम	9–	एनाजिला पेवटाशिस
2–	ट्यूबरोक्लोसिस आफ लंग्स	10–	एपोलेक्सी
3–	डायबिटीज	11–	एसीटीज
4–	हाई ब्लड प्रेशर 200 सिस्टामिक से उपर	12–	बैरीबेरी
5–	हाई ब्लड प्रेशर 160 सिस्टामिक से उपर	13–	कैंसर के ऑपरेशन के बाद
6–	अनकम्पनसटेड कार्डिक डीजीज	14–	मिट्रल एटोनोसिस

7– परनिशस एनिमिया कीयिवा
8– ल्यूकोरिया

(सि0पे0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या –18)

(15) चिकित्सा प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के प्रथम भाग को पेंशनर से अपने सामने भराना चाहिये तथा उसके बाद उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा कराके अपनी सम्मति, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रार्थी ने कहां तक सही सूचना दी है, देनी चाहिये। चिकित्सा प्राधिकारी को प्रपत्र का भाग प्रार्थी के सामने भर के उसके हस्ताक्षर तथा उसके बांये हाथ का अंगूठा व उंगलियों के निशान करा लेने चाहिये। प्रार्थी की आवश्यकता के कारणों पर भी विचार करके अपनी सम्मति देनी चाहिये।

(सि0पे0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या –19)

(16) सि0 पें0 कम्यूटेशन रूल्स के नियम 24 के अनुसार यदि कोई पेंशनर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिक आयु को स्वीकार न करें अथवा जिसे चिकित्सा परीक्षा में संराशिकरण के योग्य न पाया जाये तो उसे अपने व्यय से चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख दोबारा उपस्थित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तो पर दी जा सकती है।

1– पहली तथा दूसरी चिकित्सा परीक्षा में समय का अन्तर एक वर्ष से अधिक हो।
2– दूसरी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परिषद द्वारा हो तथा,
3– चिकित्सा प्राधिकारी को पिछली चिकित्सा परीक्षा से एक वर्ष से अधिक लिखित प्रमाण के अतिरिक्त पिछली चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजी जानी चाहिये।

भाग– 5
विविध

नगर निगम पावतों की वसूली –

10–(1) मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के घनांक से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नगर निगम को देय कोई धन काटा जा सकता है।

बर्खास्तगी का प्रभाव –

(2) यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो तो साधारणतया से अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पारिवारिक पेंशन देय न होगी, किन्तु यदि कार्य कारिणी समिति ऐसा निश्चय करें तो विनियम–4 के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के घनांक का आधा दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती है।

नियुक्ति वेतन निधि तथा अंशदान

11– इन विनियमों के अन्तर्गत जिन पर यह विनियम लागू हों उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से अथवा समय– समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येक मास उस तिथि से जिससे उनका वेतन देय हो, निकाल कर सेवानिवृत्ति वेतन निधि में जमा करेंगे। यह निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी। यदि किसी समय उपरोक्त खाते में सेवानिवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार धन न हो तो मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम निधि से आवश्यक अग्रिम देंगे और बाद में उसे निवृत्ति वेतन निधि से निकाल कर निगम निधि में जमा करेंगे अथवा देय पेंशन अंशदान में समायोजित करेंगे। पेंशन निधि में धन उपलब्ध होने पर उसे विनियोजित भी कराया जा सकता है।

निवृत्ति वेतन और उपादान के स्वीकृत विधि

12– 1 (क)प्रत्येक अधिकारी के सेवानिृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महीने के भीतर उसके विभागीय पविष्टियों सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लिखित की जायेगी।

(ख–1) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच आवेषण के प्रकार तथा परिणाम अभिलिखित कर दिये जाना चाहिये।

(ख–2) सेवा की अवच्छिन्न्ता समानान्तर प्रमाण पर निर्धारित की जानी चाहिये। जहां तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षो की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिये। प्रथम वर्ष सेवा, यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका, स्केल रजिस्टर, एक्वेंन्टेस रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहिये। यदि इस प्रकार के लेखा "रिकार्ड" उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायिष्त्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा के प्रमाणिकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहिये, यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती प्रमाण पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अन्तिम तीन वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिये इससे पूर्व की सेवाकाल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उनके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिये।

(ख–3) यदि किसी सेवाकाल को (ख–2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता हो और उस काल में उपयेाग किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिए स्वीकृत सेवाकाल निम्न प्रकार निकाला जाये–

(1) उपार्जित अवकाश के लिए यह माना जाना चाहिये कि अधिकारी ने पूरा अवकाश उपभोग किया है। अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में अब तक अन्यथा प्रमाण न हों तो यह माना जाना चाहिये कि उनका उपभोग किया गया है। यदि अधिकारी ने अवैतनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न हो ताया शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष में ऐस अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस पकार का अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले या शंकाजनेक सेवाकाल के पूरे वर्षो में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवा पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते हैं और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपथिति उसके सेवाकाल से पत्येक वर्ष में मानी जायेगी जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवा रोल कें अभिलिखित नहीं है।

(ख–4) यदि सेवा पुस्तिका या सेवारोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिये। जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हों तो उस काल के लिए अधिकारी से सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिये यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिये।

(ख–5) पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो साधारण तथा सारी सेवा के सम्बन्ध की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जांच की जानी चाहिये।

(क)स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

(ख)अन्तिम तीन वर्षो की अर्हकारी सेवा।

(ग)अकस्मात चुने गये किसी दो या तीन वर्षो क सेवा।

(घ)यदि सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियां हों तो उनकी विशेष जांच की जानी चाहिये।

(ङ)यदि किसी अधिकारी का सेवाकाल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं उसकी सेवा पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों को प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजेंगे। लेखाधिकारी सेवानिवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जांच करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को जांच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे। उनकी जांच के बाद उपादान या सेवा निवत्ति वेतन तथा उपादान का धनांक मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका प्रपत्र "छ" अधिकारी को भेजी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) का यह सन्तोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादान तथा सेवा निवृति वेतन "पेंशन" की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र "झ" में घोषणा पत्र देने पर अप्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेंतन "पेंशन" का भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का धन लेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण, जिसे वह अविलम्ब कर सकें, निर्धारित किये गये मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(2) सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान की भुगतान की विधि –
सेवानिवृत्ति वेतन लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवा निवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा प्रपत्र "ज" में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। प्रपत्र "ज" व निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थिति व जीवित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदुपरान्त पेंशनर को चैक दी जायेगी इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेंतन के भुगतान की रीति काम में लायी जायेगी।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा चाहता है तो वह प्रपत्र "ज" भरकर उस पर पिछले मास का सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान की नीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपत्रित (गजटेड) अधिकारी से मोहर के साथ प्रमाणित कराकर लेखा अधिकारी को भेजेंगे और लेखाधिकारी सेवानिवृत्ति के वेतन के धनांक से मनीआर्डर कमीशन काटकर शेष धन मनीआर्डर से भेजेंगे और किये गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका की कार्यालय में प्रविष्टि करेंगे। किसी भी दशा में 12 मास से अधिक लगातार भुगतान इस प्रकार नहीं किया जायेगा। एक वर्ष बाद भुगतान करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पंजिका प्रतिलिपि में लेखा अधिकारी प्रविष्टियां पूरी करेंगे।

<u>पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया</u>

13– पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया –

मुख्य नगर अधिकारी के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशन निधि स्थापित की जायेगी, जो रूड़की नगर निगम पेंशन निधि के नाम से जानी जायेगी, जिसे आगे "निधि" कहा गया है। नियम 11 के द्वारा नगर निगम द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी।

14– रोकड़ बही रखना –

निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किये जाने अधिकारी द्वारा रोंकड़ बही इस विनियमावली से संलग्न पत्र "ञ" में रखी जायेगी।

15– पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में प्रक्रिया –

पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रतिमास के छठे दिनांक से पूर्व मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बैंक में जमा की जायेगी। इस विनियमावली सें संलग्न प्रपत्र "ट" में चालान तैयार किया जायेगा। चालान के साथ एक सूची होगी, जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्व विवरण दिया जायेगा। यह चालान चार प्रतियों में तैयार किये जायेंगे। चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियां बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेगी और चालानें की तृतीय और चतुर्थ पतियां सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रतिमास के दसवें दिनांक तक मुख्य नगर अधिकारी को भेजी जायेगी। लेखा अधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा। चालान की प्रतियां लेखा परीखा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखी जायेगी।

16– लेखा बही का रखा जाना–

सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता भी इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र "ठ" में रखा जायेगा। खाता बही में प्रतिमास अधिकारी को भुगतान किये गये वेतन की धनराशि और जमा किये गये अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायेगी। खाता बही में प्रविष्टियां चालानों की प्रतियों से की जायेगी और प्रत्येक मास के अन्त में खाता बही में प्रविष्टि किये गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड़ बही में प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जायेगा। खाता बही का पुनर्विलोकन यह निश्चित करने के लिए किया जायेगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा।

17– पेंशन भुगतान आदेश–

इस विनियमावली के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात प्रत्येक मामले में स्वीकृत की गयी पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/उपादान के भुगतान के लिए मुख्य नगर अधिकारी द्वारा इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र "ड" में पेंशनपत्र भुगतान आदेश जारी किया जायेगा। इस आदेश की प्रतियां पेंशन भोगी और उस विभाग को जहां से सम्बद्ध सेवा के सदस्य सेवानिवृत्ति हुआ है, को पृष्ठांकित की जायगी।

18– लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर–

पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर और ठीक ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रपत्र "थ" में एक लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशन भोगी का एक पृथक खाता खोला जायेगा।

सामान्य भविष्य निधि

19– जिन अधिकारियों को यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य होना पड़ेगा और उसमें अपने 10 पैसे प्रति रूपये से कम न होते हुए भी 25 पैसा प्रति रूपया प्रतिमाह का अपना अंशदान जमा करना पड़ेगा। अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति के शीघ्र बाद घोषित कर देना पड़ेगा। जब तक कि इसमें किसी परिवर्तन का नोटिस मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को किसी वर्ष मार्च के

प्रथम सप्ताह में न दें, अगले वर्ष के लिए वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच अंशदान की पूर्व में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा।

20– भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की 10 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा जिससे उसमें ब्याज मिल सके।

21– मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एफ डी आर/ राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियोजित कर दें।

22– प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन का भुगतान के लिए नामांकन पत्र विनिमय 6 के अनुसार देना होगा। यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्ति की दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने अभिरक्षा (कस्टडी) में रखे जायेंगे।

23– सामान्य भविष्य निधि में जमा हुए धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थायी अग्रिम/ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन अग्रिमों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी।

(1) साधारणतः अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न होगी। विषम परिस्थितियों में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि में जमा धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगी।

(2) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिए दिये जायेंगे जिनका वहन करना उनके सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो। इन व्ययों में अपने परिवार की शिक्षा, उनकी बीमारी, विवाह अथवा मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।

(3) यह अग्रिम अधिकारी/कर्मचारी से 20 किश्तों में वसूल किये जायेंगे इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किश्त देय होगी।

(4) अग्रिम की ब्याज सहित वापसी पूरी होने के 12 महीने बाद ही दूसरा अग्रिम साधारणतः दिया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

24– यदि कोई अधिकारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि में जमा धन से पालिसी का "प्रीमियम" अदा करने के लिए पौलिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रतिग्रहण प्लज कर सकता है और प्लज की हुई पौलिसी मुख्य नगर धिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण (कस्टडी) में रहेगी। पौलिसी की प्रीमियम के लिये अग्रिम को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के वबूत में कार्पोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार की पॉलिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। पौलिसी परिपक्व (मैच्योर) होने पर उसका रूपया वसूल करके अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी पौलिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवा निवृत्ति हो जाये तो मुख्य नगर अधिकारी के हित में पौलिसी प्रति ग्रहण करके उसे लौटा देंगे।

25– किसी अधिकारी/ कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसकी नगर निगम की सेवा में निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रत्येक के लिए साथ उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से सेवा निवृत्ति होने के पूर्व भी निकाल सकता है।

(1) अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा लड़का, लड़की के विवाह करने के लिए अपने और उस पर मिले ब्याज के धन को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से दस वर्ष पूर्व।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिए तीन महीने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे तक, जो भी कम हो।

(क)विदेश में विद्या (एकेडमिक) औद्योगिक (टैक्नीकल) कला सम्बन्धी (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों "कोर्सेज" के लिए और

(ख)भारत में ऐसे चिकित्सा "मैडिकल" अभियान्त्रिक इंजीनियर तथा अन्य औद्योगिक "टैक्नीकल" अथवा विशिष्ट स्पेशलाईज्ड पाठयक्रमों कोर्सेज के लिए जिनकी पढ़ाई का समय तीन वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इन्टरमीडिएट के बाद की हो, दोनों ही दशाओं में धन निकालने कें लिए छः माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिए वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया। ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा। जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। यदि अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को या तो व्यय के विषय में सन्तोष दिला सकें अथवा बचा हुआ धन लौटाये तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किश्तों में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

प्रपत्र–क

विनियम–5(5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांक

(यदि अधिकारी/कर्मचारी के परिवार है और वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहे)

मैं इस प्रमाण–पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है, नामांकित करता हूं तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूं, जिसे मेरी निगम की सेवा में रयति मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूं, जो मेरे सेवा–निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रहे जायें।

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध।	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा।	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होगें अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा।	उपादान का धन अथवा भाग को प्रत्येक को देय होगा

यह नामांकन–पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक..... की किये गये नामांकन को रद्द करता हूं।

टिप्पणी–अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी अन्तिम गई पंक्ति से नीचे के स्थान खाली को लकीर खीचंकर निष्प्रयोज्य कर देना उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ..... लिखा न जा सकें।

प्रपत्र (ख)

विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हु नामांकन

(जब अधिकारी के परिवार हो तथा वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहे)

मैं इस प्रमाण–पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार का सदस्य हैं, नामांकित करता हूं तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूं जिसे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के वाद उस उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूं जो मुझे मेरे सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये।

नामांकित व्यक्तियों के नाम व पते	अधिकारी से सम्बन्ध (रिश्ता)	आयु	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा।	अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम ;यदि कोई होद्ध और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिए गए अधिकार प्राप्त होगें अथवा नामांकित व्यक्ति अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान तथा भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा।	उपादान या भविष्य निधि धन के भाग को प्रत्येक होगा
1	2	3	4	5	6	7

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक..... को दिए गए नामांकन को अब रद्द करता हूं।

टिप्पणी – अधिकारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना चाहिए, जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद उसमें कुछ लिखा जा सकें।

दिनांक.....माह.....सन्.....को.....बजे.....स्थान..... ..... में नामांकन किया।

साक्षी (1)

(2) अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह से भरा जाना चाहिए जिससे उपादान तथा भविष्यनिधि का पूरा धन/भाग विभाजित ही जायें।

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग प्रारम्भ में किये गये नामांकित व्यक्तियों को दिये गये समस्त धन/भाग के बराबर हों।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने का)

.....पद.....कार्यालय..... के द्वारा नामांकित

प्रपत्र–ग

विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांक

(जब अधिकारी के परिवार न हो और यह किसी व्यक्ति को नामांकित करना चाहें)

मेरे कोई परिवार नहीं है। मैं इस प्रमाण–पत्र द्वारा निम्नांकित को नामांकित करता हूं तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूं, जिसे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ, जो मेरे सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जायें।

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध नामांकित व्यक्ति जो अधिकारी/ कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गऐ अधिकार प्राप्त होगें अथवा नामांकित व्यक्ति की अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा।	उपादान तथा/ या भविष्य का धन अथवा भाग जो प्रत्येक की देय होगा।

यह नामांकन पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक.....को किये गये नामांकन की रद्द करता हूं

दिनांक.....माह.....सन्.....को.....बजे.....स्थान..... ..... में नामांकन किया।

साक्षी (1)

(2) अधिकारी के हस्ताक्षर

यह स्तम्भ इस प्रकार भरना जायेगा जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन बंट जाये।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

.....पद.....कार्यालय..... के द्वारा नामांकित

(विभागीय अधिकारी) हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पद.....

नगर निगम, रूड़की

प्रपत्र (घ)

विनियम–5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन

मेरे कोई परिवार नहीं है, मैं निम्नांकित व्यक्तियों को नामांकित करता हूं तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादन तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूं, जिसे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृति करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादन तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूं जो मुझे मेरे सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जायें।

नामांकित व्यक्तियों के नाम व पते	अधिकारी से सम्बन्ध (रिश्ता)	आयु	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा।	अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम ;यदि कोई होद्ध और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिए गए अधिकार प्राप्त होगें अथवा नामांकित व्यक्ति की अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान तथा भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा।	उपादापन तथा भविष्य निधि अथवा धन जो प्रत्येक को देय होगा।

यह नामांकन मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक ..... को किए गए नामांकन की अब रद्द करता है।

टिप्पणी – अधिकारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निश्प्रोज्य कर देना चाहिए, जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद उनमें कुछ लिखा न जा सकें।

दिनांक.....माह.....सन.....को.....बजे.....

.....स्थान.....में नामांकन किया।

साक्षी (1)

(2) अधिकारी के हस्ताक्षर

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह से भरा जाना चाहि जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन/भाग विभाजित हो सकें।

इस स्तभ में भरा गया धन/भाग प्रारम्भ में किये गये नामांकित व्यक्तियों को दिये गये समस्त धन भाग के बराबर हो।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

.....पद.....कार्यालय..... के द्वारा नामांकित

दिनांक.....

(विभागीय अधिकारी) हस्ताक्षर.....

पद.....

नगर निगम रूड़की

प्रपत्र–थ

(नगर निगम, रूड़की के मृत अधिकारी के वैध उत्तराधिकारी अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हेतु)

चूंकि.....(यहां पारिवारिक सेवा–निवृत्ति वेतन) भाव (पेंशन)/मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान/पेंशन का उपादान का बकाया धन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखिए ने (रुपया.....) का धन जो मुझे देय पारिवारिक सेवा–निवृत्ति वेतन है और/अथवा रुपये..... (रुपया.....) जो मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान/बकाया पेंशन या उपादान जो श्री/श्रीमति.....(यहा नगर निगम के मृत अधिकारी के नाम व पद नाम लिखित) का दये धन है, मुझे भुगतान करना स्वीकार कर लिया है, अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूं कि उपरोक्त कथित दिए धन/धनों के स्वीकार करने में मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूं कि मुझे देय पारिवारिक (पेंशन) सेवा–निवृत्ति वेतन और मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान/मृत श्री/श्रीमति..... को देय बकाया पेंशन या उपादान का धन विनियमों और नियमों के अन्तर्गत मुझे देय धन के वास्तविक धनांक से अधिक पाये जाने पर संशोधनीय है। मैं वचन देता हूं कि इस प्रकार संशोधन ;रिवीजनद्ध में मुझे कोई आपत्ति न होगी। मैं यह भी वचन देता हूं कि उस धनांक से जिसका मैं अन्तिम रूप से अधिकारी पाया जाऊं अधिक भुगतान किए गए कुल धन को मैं लौटा दूंगा।

मैं इस लेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूं और वचन देता हूं कि रूड़की नगर निगम के कर्मचारियों के सेवा–निवृत्ति वेतन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1999 के विनियम 3 के उप विनियम 2 ;कद्ध के अनुसार भविष्य निधि के भाग धन में आगे चलकर पाये गये अधिक भुगतान के धन को भी लौटा दूंगा तथा मुख्य नगर अधिकारी को मैं अधिकार देता हूं, कि वे इस प्रकार के अधिक भुगतान किये गये धन को भविष्य में मुझे दये पेंशन से काट लें।

हस्ताक्षर

लाभ प्राप्तकर्ता (वेनीपफेशरी) के

1- साक्षी के हस्ताक्षर
पता व पेशा

2- साक्षी के हस्ताक्षर
पता व पेशा

नोट ––

1. प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता को अलग घोषणा–पत्र देना चाहिये।
2. प्रार्थी के निवास, गांव या परगना के दो या अधिक व्यक्तियों प्रतिष्ठित द्वारा घोषणा–पत्र कर साक्षी होनी चाहिए।

नगर निगम, रूड़की

प्रपत्र–7 त

श्री.....भूतपूर्व.....कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान (डेथकम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी)/अवशेष उपादान (ग्रेच्यूटी) स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र–

1. प्रार्थी का नाम
2. मृत अधिकारी/सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता पेंशनर से सम्बन्ध (रिलेशनशिप)
3. जन्म दिनांक
4. यदि मृतक सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर)
5. अधिकारी सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) की मृत्य का दिनांक
6. प्रार्थी का पूरा पता
7. प्रार्थी के हस्ताक्षर अंगूठे का चिन्ह
8. (1).....
   (2).....
9. साक्षी का नाम व पूरा पता हस्ताक्षर
   (1).....
   (2).....
   द्वारा
   प्रमाणित किया गया

नगर निगम, रूड़की

प्रपत्र–ड

प्रथम भाग

सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान तथा मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान हेतु प्रार्थना–पत्र

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता का नाम तथा (नगर निगम के स्त्री कर्मचारी के सम्बन्ध में पति का नाम भी)
3. धर्म तथा राष्ट्रीयता
4. ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य दिखाते हुए स्थायी निवास का पता
5. (क) वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति स्थापना (स्टेबलिशमेंट) के नाम सहित
   (ख) वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति का पद
6. (क) सेवा के प्रारम्भ का दिनांक
   (ख) सेवा समाप्ति का दिनांक
7. रुकावटो (इन्स्ट्रपशन्स) तथा अनर्हकारी (नान–कवालीपफाइंग) सेवा नियमों के विवरण सहित सेवा काल — वर्ष मास दिन
8. प्रार्थी सेवा–निवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान का प्रकार तथा प्रार्थना–पत्र का कारण
9. औसत उपलब्धियां
10. प्रस्तावित पेंशन या उपादान
11. प्रस्तावित मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान
12. पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक
13. क्या नामांकन प्रस्तुत किया है–
    1. पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन हेतु–
    2. मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादन हेतु –
14. ईसवी सन् क अनुसार प्रार्थी का जन्म दिनांक
15. ऊंचाई
16. (क) पहिचान चिन्ह
    (ख) बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों के चिन्ह

    अंगूठा तर्जनी माध्यमा अनामिका कनिष्ठिका
17. प्रार्थी द्वारा पेंशन/उपादान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रेषित करने का दिनांक
18. यदि प्रार्थी अंशदानी भविष्य निधि का सदस्य हो तो कृपया उसकी लेखा संख्या दीजिए।

फोटो पेंशन भोगी पत्नी

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रार्थी के हस्ताक्षर

7––निम्नलिखित द्वारा अ (प्रमाणित
निम्नलिखित द्वारा साक्षीकृत

	हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

8––ओवदक का पूरा पता.....टिप्पणी–––

(1) पारिवारिक पेंशन के साथ भेजी गई विवरण तथा हस्ताक्षर/अंगूठा और अंगलियों के चिन्ह दो प्रतियों में तथा उस नगर, ग्राम या परगना, जिसमें प्रार्थी निवास करता हों, के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

(2) यदि प्रार्थी ऊपर के क्रम संख्या 6 ;खद्ध में दो श्रेणी में आता हो तो उसे मृत अधिकारी/सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) पद अपने भरण–पोषण हेतु आश्रित होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

(3) यदि प्रार्थी मृत अधिकारी/सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता ;पेंशनरद्ध का अव्यस्क सगा भाई हो तो उसकी पुष्टि के लिए आदि का असली प्रमाण–पत्र (दो प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित), जिसमें प्रार्थी का जन्म दिनांक दिया हो, लगाना चाहिये। आवश्यक सत्यापन के बाद असली प्रमाण–पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायेगा।

द्वितीय भाग

सेवाकाल की बाधाओं का उल्लेख करते हुए सेवा का इतिहास

जन्म दिनांक

स्थापना (स्टैबलिशमेन्ट)	नियुक्ति	वेतन	स्थानापन्न वेतन	आरम्भ का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	सेवा माना गया समय	सेवा न माना गया समय	टिप्पणी	सत्यापन किस प्रकार किया गया	लेख अधिकारी की टिप्पणी	मुख्य नगर लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						वर्ष मास दिन	वर्ष मास दिन			वर्ष मास दिन	लेखा अधिकारी

सेवा का कुल समय .....

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जो किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के अन्तर्गत किसी श्रेणी के एक के अधिकारी का उपयोग करता हो।

(घ) ऊपर की (क), (ख) व (ग) प्रत्येक दशा में लेखा अधिकारी की वर्ष में कम से कम एक वाद उपरोक्त जतीन सर्टिपिफकेट के अतिरिक्त सम्बन्धि अधिकारी के जीवित रहने का सबूत प्राप्त कर लेना चाहिए।

(ड) पेंशन की मृत्यु होने पर उसके परिवार को इस आदेश पत्रिका को पेंशनर की मृत्यु के दिनांक को सूचित करते हुए मुख्य नगर अधिकारी को तुरन्त लौटा देना चाहिए।

जिसका सेवा–निवृत्ति वेतन 20..... 20..... वेतन

देय हो (मार्च से फरवरी) भुगतान दिनांक व बाउचर संख्या

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

तृतीय भाग

(क) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी –

1– प्रार्थी के चरित्र और पिछले आचरा के विषय में,

2– यदि कोई निलम्बन अथवा पदावनति हो तो उसका विवरण,

3– प्रार्थी द्वारा पहले प्राप्त उपादान अथवा पेंशन, यदि कोई हो तो उसका विवरण

4– अन्य टिप्पणी यदि कोई हो,

5– अध्यर्थित ;क्लेमडद्ध सेवा के संस्थित ;इर्स्टब्लिशडद्ध होने तथा उसके स्वीकार/अस्वीकार किऐ जाने के विषय में विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष का निश्चित मत (स्पेसिपिफक ओपीनियन) (देखिए सि0स0 रेगुलेशन आर्टिकिल 917 (1)।

विभागयी अधिकारी/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(ख) लेखा विभाग की टिप्पणी

क्रम संख्या ..... दिनांक .....

पृष्ठ (संख्या 1 व 2 पर दिये विवरण की जांच पुस्तिका/सेवा सूची (सर्विस रोल) के लेखों से की गई।)

अर्हकारी सेवा निम्न प्रकार निकलती है वर्ष मास दिन

;1द्धमृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान हेतु,

;2द्धसेवा–निवृत्ति वेतन (पेन्शन) हेतु,

तथा उपरोक्त के लिए धन निम्न प्रकार है–

;3द्धमृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति

उत्पादन ..... रु0 ..... (रु0.....)

;4द्धसेवा–निवृत्ति वेतन (पेन्शन) (रु0.....)

और पेन्शन दिनांक से देय है।

.....

लेखा अधिकारी

(ग) लेखा परीक्षा विभाग –

क्रम संख्या दिनांक

श्री ..... (पद)..... के मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) के मामले, जिसका विवरण इस प्रपत्र में किया हुआ है, कि मैंने जांच की। मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान का धन रुपया ..... (रुपया .....) निकलता हूं तथा सेवा निवृत्ति वेतन (पेन्शन) का धन रुपयां ..... (रुपया.....) प्रति मास होता है, जिसका भुगतान दिनांक ..... से प्रारम्भ होगा।

"प्रपत्र–च"

विनियम 12 (1) (क)

लेखाअधिकारी को सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए विभागयी अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों की तालिका :

1. सेवानिवृत्ति वेनत और उपादान स्वीकृति के लिए प्रार्थना–पत्र

   (मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित पफॉर्म में)।

2. अशक्तता का प्रमाण–पत्र (यदि अंशवतता के कारण मांगी जाती हो)।

3. सेवा पुस्तिका पूरी करके।

4. औसत उपलब्धियों का विवरण।

5. अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र।

6. (क) साक्षीकृत दो नमूने के हस्ताक्षर (अटेस्टेड स्पेसिमेन सिग्नेचर)।

   (ख) दो स्लिप, जिन पर बायें हाथ के अंगूठे व उंगलियों के साक्षीकृत चिन्ह हो तथा साक्षीकृत पासपोर्ट साईज–पफोटो।

7. किसी अन्य पेंशन व ग्रेच्यूटी न पाने का पेंशनर का घोषणा–पत्र।

लेखाधिकारी/मुख्य लेखा परीक्षक

ऊपर दिए हुए कागजाता श्री/श्रीमति ..... पत्र को पेंशन अथवा और उपादान स्वीकृत करने के लिए भेजे जा रहे है। कृपया इन्हें चेक करके आगे कार्यवाही करें।

विभागीय अधिकारी

प्रपत्र–छ

विनियम–12 (ख–5) (ड)

सेवा–निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका संख्या
(सेवा–निवृत्ति वेतन वाले अधिकारी के लिए)
बजट मद जिसे देय–
निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता का नाम–

निवृत्ति वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म–तिथि	जाति	निवास–स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन का धनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

श्रीमान् लेखा अधिकारी
नगर निगम, रूड़की

आगामी नोटिस तक प्रत्येक मास के समाप्त होने पर आप श्री.....पुत्र श्री..... ..... को.....रुपये.....नं.पं.....इनकम टैक्स काटकर ;उनकी सेवा निवृत्ति वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित पफार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें। यह भुगतान दिनांक..... से प्रारम्भ होगा।

हस्ताक्षर .....
मुख्य नगर अधिकारी

टिप्पणी – इस आदेश द्वारा देय पेंशन निम्नांकित दशाओं को छोड़कर केवल पेंशनर को देय होगी।

(क) उन व्यक्तियों को जिनके लिए मुख्य नगर अधिकारी विशेष रूप से आदेश कर दें।

(ख) उन व्यक्तियों को जो बीमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों यदि वे पहले से मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त कर लें उपरोक्त में से प्रत्येक दशा में भुगतान किसी नगर निगम अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति के जिसके लिए मुख्य नगर अधिकारी अपनी स्वीकृति दें, के द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के जीवित होने के प्रमाण–पत्र देने पर भुगतान किया जायेगा।

प्रपत्र–झ

विनियम (12) ख–5 (ड)

घोषित पत्र

चूंकि ..... यह अग्रिम स्वीकृत करने वाले वैद्य प्राधिकारी का पद लिखिए मुझे श्री..... के नामोदिष्ट व्यक्ति (वैद्य उत्तराधिकारी के रूप में) को अंकन रुपये..... शब्दों में मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान और रुपये..... प्रतिमाह सेवा–निवृत्ति वेतन का सही धन निर्धारित किये जाने और आवश्यक जांच की पूर्ति की प्रत्याशा में अग्रिम रूप से अंतक लोन भुगतान करने लिए सहमत हो गए। अतः मैं इस लेख द्वारा यह स्वीकार करता हूं कि उपादान और सेवा–निवृत्ति वेतन के मासिक अग्रिम ;एडवांसद्ध के ग्रहण करने में मैं पूरी तरह यह समझता हूं कि वह मुझे देय मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्त उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन की आवश्यक यथाविधि जांच पूरी होने पर संशोधनीय है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस संशोधन में मैं इस आधार पर कोई आपत्ति न करूंगा कि प्रत्यक्षित मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान या मासिक सेवा–निवृत्ति को इस समय मुझे भुगतान किया जा रहा है। उसे मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान या और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन से अधिक है, जो मुझे अग्रिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान और मासिक निवृत्ति वेतन का जो धन अग्रिम रूप से स्वीकार किया जायें उससे अधिक जो भी भुगतान मुझे होगा मैं तुरन्त लौटा दूंगा।

हस्ताक्षर के साथ पता सहित

हस्ताक्षर
दिनांक
पद नाम

1. .....
2. .....

(यदि नगर निगम कर्मचारी से)
स्टेशन
दिनांक

प्रपत्र–ज

विनियम–12 (2)

सेवा–निवृत्ति वेतन भुगतान

आदेश पत्र का कम संख्या .....

बाउचर संख्या ..... दिनांक .....

मुझे ..... सन् 1999 ..... के लिए प्राप्त सेवा निवृत्ति का ..... मैंने प्राप्त किया।

पूरा प्राप्त धन .....

कटौती .....

इन्कम टैक्स .....

अन्य .....(टिकट)

..... पेन्सनर कें हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि ..... जीवित हैं, तथा वह मेरे सम्मुख आज उपस्थित हुए।

दिनांक ..... हस्ताक्षर

(अधिकारी का पूरा नाम)

पूरा पद .....

उपादान अथवा सेवा–निवृत्ति
वेतन पेंशन को प्रकार
स्वीकृति कर्ता प्राधिकारी
उपादान का स्वीकृत धनांक
सेवा–निवृत्ति वेतन ;पेंशनद्ध
का धनांक .....
भुगतान के प्रारम्भ का दिनांक

स्वीकृति का दिनांक ..... सेवा–निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश संख्या ..... निर्गत किया।

हस्ताक्षर

लेखा–अधिकारी

प्रपत्र–ट

(सेवा–निवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु)

चूंकि ..... (यहां सेवा–निवृत्ति वेतन (पेंशन) सेवा–निवत्ति उपादान/मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पद नाम लिखिये) नं. रु0 ..... (रुपया .....) प्रति मास मेरा पेंशन के रूप में तथा (अथवा रु0 .....) उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूं कि उपरोक्त कथित धन के स्वीकार करने में मैं पूर्णरूप से यह समझता हूं कि पेंशन/उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान, जो मुझे विनियमों के अन्तर्गत देय हो, उससे अधिक हाने की दशा में संशोधनीय (नब्जेक्ट टू रिजीजन) है तथा मैं वचन देता हूं कि इस प्रकार के संशोधन (रिवीजन) में मुझे कोई आपत्ति न होगी। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं उस धनांक से, जिसका मैं अन्तिम रूप से अधिकारी होऊं, अधिक भुगतान किया गया धन मैं लौटा दूंगा।

मैं इस लेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूं और वचन देता हूं कि नगर निगम, रूड़की कर्मचारियों के सेवा–निवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1999 के विनियम 3

के उपविनियम 2(क) तथा 2 (ख) के अनुसार भविष्य निधि के मेरे भाग धन में आगे चलकर पाए गए अधिक भुगतान के धन को भी मैं लौटा दूंगा तथा मुख्य नगर अधिकारी को मैं यह अधिकार देता हूं कि वे इस प्रकार के अधिक भुगतान किये धन का भविष्य में मुझे देय पेंशन अथवा मेरे उत्तराधिकारियों को देय मेरी पेंशन से काट लें।

हस्ताक्षर
अधिकारी/कर्मचारी

1. साक्षी के हस्ताक्षर
   पता व पेशा
2. साक्षी के हस्ताक्षर
   पता व पेशा

नोट – इस घोषणा–पत्र पर प्रार्थी के निवास स्थान का पता लिखें।

प्रपत्र–ठ

मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान तथा सेवा–निवृत्ति वेतन स्वीकृति वेतन हेतु औचारिक ;पफार्मलद्ध प्रार्थना–पत्र (मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान तथा सेवा–निवृत्ति वेतन स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र देने वाले अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला घोषणा–पत्र।)

"प्रेषक,

प्रेषत, ...

.....

.....

सेवा में, ...

.....

.....

विषय : मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान तथा सेवा–निवृत्ति हेतु प्रार्थना–पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे दिनांक ..... को सेवा अवधि पूर्ण करके सेवा–निवृत्त होना है, क्योंकि मेरा जन्म दिनांक ..... है। इस कारण निवेदन है कि कृपया मेरी पेंशन व उपादान, जो मुझे प्राप्त है, मेरे सेवा–निवृत्ति के दिनांक से तुरन्त स्वीकृत करने की कार्यवाही कीजिए।

2– मैं यह घोषित करता हूं कि मैंने इस पेंशन तथा उपादान, जिसके लिए प्रार्थना–पत्र दे रहा हूं, के योग्य बनाने वाले सेवा के किसी भाग के लिए न किसी पेंशन हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है, और न कोई पेंशन अथवा उपादान प्राप्त ही किया है तथा न मैं इसके बाद इस प्रार्थना–पत्र तथा इस पर हुए आदेशों का उल्लेख किये बिना कोई प्रार्थना–पत्र दूंगा।

3– मैं निम्नांकित संलग्न कर रहा हूं–

1. अपने हस्ताक्षरों के दो प्रमाणित नमूने
2. परिपत्र के आकार के अपने दो प्रमाणित पफोटो
3. दो पच्चियां ;स्लिपद्ध जिसमें से प्रत्येक पर मेरे बायें हाथ के अंगूठे तथा अन्य उंगलियों के चिन्ह ;थम्ब एण्ड इम्प्रेशन्स हैं, तथा
4. दो पच्चियां जिसमें प्रत्येक पर मेरी ऊंचाई और पहचान चिन्हों के विवरण दिए हैं।
5. मेरा वर्तमान पता ..... तथा ..... के .... बाद का पता ..... होगा।

दिनांक :

प्रपत्र–ढ

श्री ..... भूतपूर्व ..... कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए पारिवारिक सेवा–निवृत्ति (फैमिली पेंशन) हेतु प्रार्थना–पत्र –

1– प्रार्थी का नाम :

2– मृत अधिकारी/सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) के सम्बन्ध (रिलेशनशिप)

3– यदि मृतक सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) था तो उसकी सेवा–निवृत्ति की दिनांक

4– अधिकारी/सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) की मृत्यु का दिनांक

5– मृतक के उत्तरजीवी रक्त सम्बन्धियों (किन्डर्ड) के नाम तथा अवस्थाएं

		नाम	ईसवी सन् के अनुसार जन्म दिनांक
(क)	धर्मपत्नी/पति, पुत्र अविवाहित पुत्रियां, विधवा पुत्रियां	सौतेले बच्चों को गोद लिए बच्चों को सम्मिलित करते हुए	
(ख)	नाम सौतेल भाईयों और सौतेले बहनों को सम्मिलित करते हुए		ईसवी सन् के अनुसार जन्म दिनांक

पंजी (डिसत्रप्टिव रोल)

पंजी के अनुसार जन्म दिनांक

दि का वैयवितक चिन्ह (यदि कोई हो)

अथवा बांये हाथ के अंगूठे	कनिष्ठका	अनामिका	मध्यमा
उंगलियों के चिन्ह	तर्जनी	अंगूठा	

उक्त में से कोई धनांक अथवा दिनांक लेखा अधिकारी द्वारा दिए धनांको अथवा भिन्नता के स्पष्टीकरण अलग लेख में दिये जाने चाहिए।

मुख्य नगर लेखा परीक्षक

चतुर्थ भाग

दिनांक .....

(पेंशन) स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश ..... अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि श्री ..... द्वारा की गयी सेवा पूर्ण रूप से सन्तोषजनक रही है तथा इस आदेश द्वारा रु0..... (रु0.....) पूरा मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान और सेवा निवृत्ति(पेन्शन) जिसका धनांक रु0 ..... (रु0.....) प्रतिमाह होता है, स्वीकार करता हूं इस पेन्शन का भुगतान दिनांक ..... से प्रारम्भ किया।

अथवा

मैंने आपको संतुष्ट कर लिया है कि श्री ..... द्वारा की गयी सेवा की है तथा आदेश दिया जाता है कि इन विनियमों के अनुसार देय सेवा–निवृत्ति (पेन्शन) उपादान का पूरा धनांक रुपये ..... (यहां या तो निश्चित धन से कम कर दिया जावें।) इस पेन्शन का भुगतान दिनांक ..... से ..... के साथ दिया जाता है कि भविष्य में किसी समय पेन्शन का धनांक सेवा के धनांक से अधिक पाया जाये तो उसे इस प्रकार पाया गया अधिक भुगतानप का निवृत्ति अधिकारी से इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करते हुए घोषणा पत्र प्राप्त कर के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर

मुख्य नगर अधिकारी/मुख्य नगर लेखा परीक्षक

नगर निगम, रूड़की

संक्षेपीकी (डाकेट)

उक्त वेतन (पेन्शन) अथवा उपादान हेतु प्रार्थना–पत्र

हस्ताक्षर

प्रार्थना पत्र का दिनांक

प्रार्थी का नाम

तथा स्वीकृतिकर्ता

प्राधिकारी का पद

अन्तिम नियुक्ति

प्रपत्र–त

नगर निगम, रूड़की

श्री ..... भूतपूर्व .....

कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए मृत्यु सम्मिलित सेवा–निवृत्ति उपादान (डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्यूटी)/अवशेष, उपादान (ग्रेच्यूटी) स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र–

1. प्रार्थी का नाम –
2. मृत अधिकारी/सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेन्शन) से सम्बन्ध (रिलेशनशिप)
3. जन्म दिनांक
4. यदि मृतक सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेन्शनर) या तो उसकी सेवा–निवृत्ति का दिनांक
5. अधिकारी सेवा–निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेन्शनर) की मृत्यु का दिनांक
6. प्रार्थी का पूरा पता
7. प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का चिन्ह
8. (1) .....
   (2) ..... द्वारा
   ..... प्रमाणित (अटेस्टेड) किया गया
9. साक्षी का नाम व पूरा पता हस्ताक्षर
   1.....
   2.....

प्रत्यूष सिंह,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, रूड़की।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/58–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।